

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 262 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE,1973

in the Court of Manish Kumar Singh, Judicial Magistrate First Class
Case No.7654 of 2022 Complaint or report made on.....
Name and address of the complainant.....

Name, parentage, caste and address of accused

आसू पटेल पिता स्व. श्री कमल प्रसाद पटेल उम्र 30 वर्ष निवासी—म.नं. 202
बढ़ई मोहल्ला, थाना गोहलपुर, जिला जबलपुर (म.प्र.)

The offence complained of, and date of, its alleged commission

आपने दिनांक 19.12.2022 को लगभग 22:50 बजे त्रिपुरी चौक, थाना गढ़ा
जबलपुर में सार्वजनिक स्थल पर वाहन क्रमांक एम0पी0 21 सी.ए.—3897 को
शराब के नशे में चलाया। ऐसा कर आपने वह अपराध कारित किया जो
मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 185 के अन्तर्गत दण्डनीय होकर इस
न्यायालय के संज्ञान के अन्तर्गत है। आप उक्त अपराध स्वीकार करते हो या
विचारण चाहते हो।

सही / —

मनीष कुमार सिंह
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जबलपुर (म.प्र.)

The plea of the accused and his examination (if any)

जुर्म स्वीकार है।
हस्ताक्षर / —

सही / —

मनीष कुमार सिंह
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जबलपुर (म.प्र.)

निष्कर्ष एवं दण्डादेश
(आज दिनांक 22/12/2022 को पारित)

आरोपी आसू पटेल द्वारा की गई स्वीकारोक्ति के आधार पर आरोपी को मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 185 के अधीन दोषसिद्ध घोषित किया जाता है। आरोपी को मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 185 के आरोप में 10,000/— रुपये (दस हजार) के अर्थदण्ड व न्यायालय उठने तक के कारावास से दण्डित किया जाता है।

अर्थदण्ड की राशि जमा न करने पर आरोपी 15 दिन का साधारण कारावास भोगेगा।

जप्तशुदा वाहन मय दस्तावेजों के स्वामी को वापस प्रदान किया जाए।

दिनांक— 22.12.2022

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित

सही/—

सही/—

मनीष कुमार सिंह
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जबलपुर (म.प्र.)

मनीष कुमार सिंह
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जबलपुर (म.प्र.)